रजिस्ट्री सं.—डी(डीएन)—128/88 REGISTERED NO. D—(DN)—128/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 29, 1988 (कार्तिका 7, 1910)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1988 (KARTIKA 7, 1910)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	723
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1291
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1513
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—भाग 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल निकाय और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1087
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1105
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2277
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	179
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	723
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1291
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1513
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1087
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1105
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2277
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	179
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	—

*Folio No. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली--110001, दिनांक 29 जुलाई, 1988

संकल्प

सं० एम—13043/12(IX)/87-कृषि—पश्चिमी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए योजना दल के गठन से संबंधित योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम-13043/12/87-कृषि में आंशिक संशोधन करते हुए योजना दल के सदस्यों की सूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

मद संख्या 5(1) में "मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र, पूना", के स्थान पर "प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र, नागपुर" की प्रविष्टि को प्रति-स्थापित किया जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति योजना टीम के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दिनांक 1 अगस्त, 1988

संकल्प

सं० एम--13043/12(XII)/87-कृषि—पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र के लिए योजना दल के गठन से संबंधित योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम-13043/12/87-कृषि में आंशिक संशोधन करते हुए पृष्ठ 2 पर मद 6(2) की वर्तमान प्रविष्टि को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :—

"6(2) (क) सचिव, सिंचाई और जल-मार्ग, पश्चिम बंगाल, तथा
(ख) सचिव, लघु सिंचाई, पश्चिम बंगाल ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति योजना टीम के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एकक)

दिनांक 20 सितम्बर 1988

संकल्प

सं० ओ० 15011/1/82-सा० आ० अ०—योजना आयोग के दिनांक 18 सितम्बर, 1985 के संकल्प सं० ओ० 15011/1/82 सा० आ० अ० और उसमें अनुवर्ती संशोधन के संदर्भ में ।

योजना आयोग द्वारा योजना से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सलाह देने के लिए 1982 में गठित की गई समिति (अनुसंधान सलाहकार समिति) का दिनांक 6-8-1988 से पुनर्गठन करने का निर्णय किया गया है । इसका गठन और विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :—

गठन

अध्यक्ष

1. प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती, योजना आयोग ।

सदस्य

2. डा० राजा जे० चेल्लया, सदस्य, योजना आयोग ।
3. डा० वाई० के० अलग, सदस्य, योजना आयोग ।
4. डा० सी० एच० हनुमन्त राव, आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली ।
5. डा० ए० एम० खुसरो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान, विशेष संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-67 ।
6. डा० सी० रंगराजन, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
7. डा० के० कृष्णामूर्ति, आर्थिक संवृद्धि संस्थान, विश्वविद्यालय एन्कलेव, दिल्ली-7 ।
8. प्रो० इकबाल नारायण, सदस्य, सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
9. डा० ए० बागची, निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान, विशेष संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110067 ।
10. डा० ए० वैद्यनाथन, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, अडायर, मद्रास-600020 ।
11. डा० प्रवीण विसारिया, निदेशक, गुजरात क्षेत्र आयोजन संस्थान, प्रीतम राज मार्ग, अहमदाबाद-6 ।
12. प्रोफेसर योगेन्द्र सिंह, सामाजिक प्रणाली अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-67 ।
13. प्रोफेसर विक्टर एस० डीसूजा, राष्ट्रीय अध्येता, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, 7, अमेलिया अपार्टमेंट्स, माउण्ट करमल रोड, बान्द्रा, बम्बई ।
14. श्री पी० बी० कृष्णास्वामी, विशेष सचिव, योजना आयोग ।
15. डा० पी० सी० जोशी, सलाहकार (अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र) योजना आयोग ।
16. डा० (श्रीमती) तामराजाक्षी, सलाहकार (श्रम, रोजगार तथा जनशक्ति) योजना आयोग ।
17. डा० एस० आर० हाशिम, परामर्शदाता (भावी योजना), योजना आयोग ।
18. सलाहकार (वित्तीय संसाधन), योजना आयोग ।
19. डा० पी० डी० मुखर्जी, परामर्शदाता (वित्तीय संसाधन) ।

सदस्य-सचिव

20. डा० वी० जी० माटिया, सलाहकार (विकास नीति) ।

विचारार्थ विषय:

(1) योजना के लिए आवश्यक अनुसंधान के क्षेत्रों का निर्धारण करना; उन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए विद्वानों और संस्थानों का निर्धारण करना, उपयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं तैयार करना और योजना आयोग द्वारा वित्त व्यवस्था के अनुमोदन के लिए उनकी जांच करना ।

(2) योजना से संबंधित क्षेत्रों में संस्थाओं/विद्वानों से स्वयं प्राप्त अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों की जांच करना, और योजना आयोग द्वारा वित्त व्यवस्था करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में सलाह देना ।

(3) योजना आयोग से आवर्ती सामान्य अनुदानों द्वारा विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में वित्त व्यवस्था किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना, अर्थात् आर्थिक संवृद्धि संस्थान दिल्ली, गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे और अर्थ-मात्रिक विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई तथा राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली में किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना।

(4) योजना आयोग की वित्तीय सहायता से विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में आयोजित प्रशिक्षण और अनुसंधान-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना।

(5) इस साधन अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रम पर इस दृष्टि से विचार कराना कि उसे योजना आयोग द्वारा प्रायोजित अन्य अनुसंधान अध्ययनों के साथ संबद्ध किया जा सके।

(6) योजना आयोग की वित्तीय सहायता से प्रकाशन के लिए पूरे किए गए अध्ययनों की उपयुक्तता के बारे में सलाह देना।

(7) निर्धारित की गई विकास समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियों की पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से वित्त व्यवस्था करने की उपयुक्तता के बारे में सलाह देना; और

(8) उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए संगत या प्रासंगिक किसी अन्य विषय के बारे में सलाह देना।

2. यह समिति अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार जितनी बार चाहे बैठकें कर सकती है। सामान्यतः उसकी बैठकें नई दिल्ली में आयोजित होंगी।

3 योजना आयोग का सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एकक समिति के सचिवालय के रूप में काम करेगा।

4. इस समिति के गैर सरकारी सदस्यों को वायुमार्ग द्वारा यात्रा करने का हक होगा। वे इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को स्वीकार्य दैनिक भत्ते भी पाने के हकदार होंगे तथा इनका वहन भी योजना आयोग करेगा।

5. यदि सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए तो यह समिति 31 मार्च 1990 तक चालू रहेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और इसे आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदीश चन्द्र डंगवाल, निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

नियमावली

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर 1988

सं० ए० 12025/5/88/एम 2—निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिये 1989 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :—

1. उम्मीदवार उपर्युक्त पदवर्गों में से किसी एक या दोनों मंत्रालय के पद वर्ग-I (भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण इस्पात व खान मंत्रालय के पद)

(1) वैज्ञानिक "ख" भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क और

(2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप ख

वर्ग II (केन्द्रीय भू जल बोर्ड जल मंत्रालय के पद)

(i) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी) ग्रुप "क" (ii) सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप ख

1. उम्मीदवार उपर्युक्त पदवर्गों में से किसी एक या दोनों के लिए प्रतियोगी हो सकता है। उसे अपने आवेदन-पत्र में उन पदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। जिनके लिये वह वरीयता क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है।

जिस पद वर्ग/वर्गों के लिये उम्मीदवार परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके सम्बन्ध में उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं के परिवर्तन सम्बन्धी किसी अनुरोध पर तब विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार के परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध रोजगार समाचार में लिखित परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख के 30 दिन के अन्दर या उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त न हो जाए।

2. उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां शुरू में अस्थायी रूप में की जाएंगी। जैसे ही स्थाई रिक्तियां होंगी उम्मीदवार अपनी बारी में स्थाई रूप से नियुक्त कर दिए जाएंगे।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएंगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किए जाएंगे।

4. आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

5. कोई उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानीका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों या जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार को सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो।

6. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 1989 को 21 वर्ष हो चुकी हो किन्तु 30 वर्ष पूरी

न हुई हो अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी 1959 से पहले और 1 जनवरी, 1968 के बाद न हुआ हो।

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम I में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित है और यदि वे कालम II में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में अनिकतम 7 वर्ष की छूट दी जाएगी :—

कालम	कालम
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	भूविज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप 'क' सहायक भूविज्ञानी ग्रुप 'ख' वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल भूविज्ञानी)
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	ग्रुप 'क' सहायक जल-भूविज्ञानी ग्रुप 'ख'

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में और छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान, प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है तथा 1 जनवरी, 1964 से 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान, प्रत्यावर्तित होकर, भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हुआ हो या होकर आया या आने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हुआ या होकर आया या आने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ;

(6) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(7) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानियां (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार) से प्रव्रजन कर आया है या जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया से भारत मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तो अधिक से अधिक वर्ष;

(8) यदि उम्मीदवार बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो तो बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुत प्रत्यावर्तित होकर आया भारत मूलक व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(10) शत्रु देश के साथ संघर्ष या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(11) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजीकार्रवाई के दौरान, विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(12) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पार पत्र हो) है और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया या आपात प्रमाण-पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(13) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा भी उम्मीदवार जिसके वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाण पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(14) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1989 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुए शारीरिक

अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1989 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(15) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1989 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1989 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक;

(16) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि 1 जनवरी, 1989 तक पूरी कर ली है, और उसके बाद सैनिक सेवा में रखे जाने हैं तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और सिविल रोजगार प्राप्त करने पर तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्य-भार से मुक्त किया जाएगा;

(17) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि 1 जनवरी, 1989 तक पूरी कर ली है और उसके बाद सनिक सेवा में रखे जाने हैं तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण-पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और सिविल रोजगार प्राप्त करने पर तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्य-भार से मुक्त किया जाएगा ।

(18) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान, प्रव्रजन कर आया है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(19) यदि कोई उम्मीदवार अनसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया है तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(20) यदि कोई उम्मीदवार पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में रहा हो, तो अधिक से अधिक 6 वर्ष तक·

(21) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो और पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में रहा हो, तो अधिक से अधिक 11 वर्ष तक ।

टिप्पणी :—भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनः रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों को लेने के बाद सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे उपयुक्त नियमावली के नियम 6 (ग) (xiv) और 6(ग) (xv) के अधीन आवेदन करने के पात्र नहीं हैं ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़ कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

ध्यान दें :—

(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है । किन्तु आवेदन-पत्र के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा ।

(2) जो उम्मीदवार अपने विभाग को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु सम्बन्धी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता, बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र विधिवत अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग द्वारा, अग्रेषित कर दिया गया हो ।

7. उम्मीदवार के पास :—

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य

शिक्षा संस्थान से भू-विज्ञान या प्रयुक्त भू-विज्ञान या समुद्र भू-विज्ञान में "मास्टर" डिग्री, या

(ख) भारतीय खान विद्यालय धनबाद से प्रयुक्त-भू-विज्ञान में ऐसोशिएटशिप का डिप्लोमा,

(ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज अन्वेषण में मास्टर डिग्री (केवल भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीन के लिए, या

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जल-भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री (केवल केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के पदों हेतु) ।

टिप्पणी 1 :--यदि उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि वे अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 31 अगस्त, 1989 तक प्रस्तुत नहीं करते तो वह अनुमति रद्द की जा सकती है ।

टिप्पणी 2 :--विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसके स्तर आयोग के मतानुसार ऐसी हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके।

टिप्पणी 3 :--जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है, तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

8. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए ।

9. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

10. उक्त परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमीशन) न हो ।

12. जिस उम्मीदवार ने :--

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्व-पूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारों की परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो,

(12) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे :--

(क) आयोग उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से

वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) उम्मीदवार इस सम्बन्ध में जो लिखित अभ्यावेदन देना चाहे उसे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उस पर विचार न कर लिया गया हो।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवक्षा पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा।

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिये इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षा के लिये साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाये जा सकते हैं तो आयोग उमको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये बुला सकता है।

14. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यताक्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिये अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य पाये गये हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा में कमी पूरा करने के लिये आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो नियुक्ति के लिए अनुशंसित किये जा सकेंगे बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त हों।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

16. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विभिन्न पदों के लिये बताये गये वरीयता क्रम पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया जाएगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जायें, किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। जिन उम्मीदवारों के नियुक्ति किये जाने की संभावना है केवल उन्हीं की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी। डाक्टरी परीक्षा के समय उम्मीदवार शुल्क के रूप में रु० 16.00 का भुगतान मेडिकल बोर्ड को करेंगे।

नोट :—निराशा से बचने के लिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी जांच करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट 2 में दिये गये हैं। विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों को पद विशेष की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में छूट दी जाएगी।

19. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिये अन्य कारण भी हैं तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

20. इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों के संबंध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

जे० बी० मुखीराजुलु, अवर सचिव

परिशिष्ट—1

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग 1—नीचे पैरा दो में दिये गये विषयों में लिखित परीक्षा।

भाग 2—आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों (देखिए नीचे पैरा 8) का है।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :—

विषय	कोड नं०	समय	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	01	1½ घंटा	100
(2) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र I, जिसमें सामान्य भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, संरचनात्मक भू-विज्ञान, स्तरक्रम विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान होंगे	02	3 घंटे	200
(3) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र II, जिसमें क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान शैल, विज्ञान और भू-रसायन विज्ञान होंगे	03	3 घंटे	200
(4) भू-विज्ञान, प्रश्न-पत्र III, जिसमें भारतीय खनिज निक्षेप, खनिज अन्वेषण खनिज अर्थशास्त्र और आर्थिक भू-विज्ञान होंगे	04	2 घंटे	150
(5) जल भू-विज्ञान	05	2 घंटे	150

नोट—वर्ग 1 और वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिये प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी विषय लेने होंगे। केवल वर्ग 1 के अन्तर्गत पदों के लिये प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिये प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तथा (5) तक विषय लेने होंगे।

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णतः 'वस्तु परक' (बहु विकल्प उत्तर) प्रकार की होगी। नमूने के प्रश्नों सहित विवरण के लिये कृपया आयोग के नोटिस के अनुबन्ध 2 पर "उम्मीदवारों को सूचनार्थ" विवरणिका देखिए।

प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकायें) केवल अंग्रेजी में होंगी।

4. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होंगे।

5. उम्मीदवारों को उत्तर अपने ही हाथ से लिखने चाहिए। उन्हें उत्तर लिखने के लिये किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिये अर्हक अंक निश्चित कर सकता है।

7. उम्मीदवार वस्तु परक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) का उत्तर देने के लिये केलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लायें।

8. व्यक्तित्व परीक्षण करते समय उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधाशक्ति, व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुण मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जस्विता, प्रायोगिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अनुसूची

स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र का स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान के स्नातक से की जाती है। भूवैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एम० एस०सी० डिग्री स्तर के होंगे और सामान्यतः प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखे जायेंगे जिनसे उम्मीदवारों की विषय की समझ का पता लग सके।

किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

(1) सामान्य अंग्रेजी (कोड 01)

अंग्रेजी भाषा की समझ और अभिव्यक्ति करने की शक्ति की जांच करने के प्रश्न दिये जायेंगे।

(2) भूविज्ञान प्रश्न-पत्र 1 (कोड 02)

क—सामान्य भ-उदगम—महाद्वीप और महासागर—उनका विभाजन, विकास और उद्गम। महाद्वीपीय विस्थापन महासागर विस्तारण और प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना पुराजलवायु और उनकी विशेषता। समस्थिति पुराचुम्बकत्व। विघटनात्मिकता और उसका भू-विज्ञान में अनुप्रयोग। भूकालान क्रम और भू-काल। भूकम्प विज्ञान और भूगर्भ। भू-अभिनति। ज्वालामुखीयता। द्वीप चाप गम्भीर, सागर, खाईयां और मध्य महासागरीय कटक। कोरल रीट्र। पर्वतन और महादेश रचना। पर्वतनी चक्र।

ख—भ-आकृति विज्ञान—भू आकृतिक प्रक्रम; लक्षण और उनके प्राचल। भू-आकृतिक चक्र और उनका अर्थ निर्वचन। स्थलाकृति और संरचनाओं से इनका सम्बन्ध। मृदा।

ग—संरचनात्मक भ-विज्ञान—चट्टानों के भौतिक गुण। विरूपणप्रश्न और वलन—उनकी यांत्रिक प्राथमिक संरचना। संरेखण शल्कन और जोड़। वितल अन्तर्बधी और लक्षण गुम्बद। संस्तरों के शीर्ष तथा तल की पहचान। विषय विन्यास पटल विरूपण। शैल सविन्यासी विश्लेषण।

घ—स्तरिकी—स्तरिकी के सिद्धांत तथा नामपद्धति। विश्व स्तरिकी तथा पुराभूगोल की रूपरेखाएं। भूविज्ञान की विभिन्न प्रणालियों के प्ररूप अनुमान। गोंडवाना प्रणाली तथा गोंडवाना महाखण्ड।

भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश) की स्तरिकी तथा पुराभूगोल प्रमुख भारतीय शैल समूह में सहसंबंध। भारतीय स्तरिकी में काल विषयक समस्यायें।

ङ—पुराभूगोल (क) जीवाश्म, उनके प्रकार, संरक्षण, पद्धति तथा प्रयोग । अकशरूकियों का आकृति-विज्ञान, वर्गीकरण तथा भूविज्ञान संबंधी इतिहास, प्रवाल, भ जपाद, पटल कलाम, एमीनाइटीज जेठरपाद, ट्राइलोहार्का ि मूल चर्मी ग्रप्टोलाईट्स और फार्मिनीफर्स ।

(ख) गोंडवाना तथा शिवालिक प्राणिजात पर बल देते हुए कशरूकियों के प्रमुख समूह । मानक हार्थी तथा घोड़ा का विकास क्रम ।

(ग) गोंडवाना वनस्पति पर बल सहित जीवाश्म वनस्पति तथा इसका महत्व और वितरण ।

(घ) सूक्ष्मपुराभूगोल : फोरमिनीफराइड्स के विशेष संदर्भ में इसका महत्व उनकी परिस्थिति विज्ञान तथा पुरास्थिति विज्ञान ।

(3) भूविज्ञान प्रश्न-पत्र 2 (कोड 03)

क—क्रिस्टल विज्ञान

क्रिस्टलों के सेमिमिति तत्व तथा वर्गीकरण 1 प्रक्षेप—गोलीय तथा त्रिविमं 32 क्लास (बिन्दु समूह) । यमलन तथा क्रिस्टल अपूर्णता ।

ख—वर्णनात्मक खनिज विज्ञान

खनिजों के भौतिक, रसायनिक, वैद्युत, चुम्बकीय तथा तापीय गुण धर्म । सिलिकेटों की संरचना तथा वर्गीकरण ।

आलिवीन ग्रुप, गार्नेट ग्रुप, एमिडोट ग्रुप और मलिलाइट ग्रुप । जरकान, स्फीन, भिलिमनाइट, एन्डालसाइट, कायनाइट, पुखराज, स्टारोलाइट बैरिल, कार्डिएराइट टूर मेलीन । पाइराक्सीन ग्रुप और एम्फिबोल ग्रुप । बोलेस्टोनाइट और रोडोलाइट ग्रुप तथा स्कैपो लाइट ग्रुप । आक्साइड्स हाईड्रोक्लाइड्स फल्डस्पार ग्रुप सिलिका मिनरल्स फेल्सपैथाइड ग्रुप । जियोलाइट ग्रुप तथा स्कैपोलाइट ग्रुप । आक्साइड्स, हाईड्रोक्लाइड्स कार्बोनेट्स फास्फेट हैलाइड्स, सल्फाईट्स तथा सल्फेट्स ।

ग—प्रकाशित खनिज विज्ञान

प्रकाशिकी के सामान्य सिद्धान्त । प्रकाशिक उप साधन । अपवर्तन, द्विअपवर्तन, विलोप कोण, बहुवर्णता । प्रकाशिक दीर्घवत ा, प्रकाशित अक्षीय कोण । प्रकाशन अभिविन्यास परिक्षण । प्रकीर्णन । प्रकाशित विसंगतियां ।

घ—शैल विज्ञान

(1) आग्नेय : स्वरूप संरचना, गठन और वर्गीकरण ग्रेनाइटग्रेनोडायोराइट । साइनाइट— नेफेलाइन साइनाइट ग्रेबो-पेरीडोटाइट-डुलाइट डारलाइट, लैम्प्रोफायर, पैग्माटाइट एप्लाइट, थाईजोलाइट ार्बोनाइट । रियोलाइट ट्रेकाइट, डैकाइटों एन्डेजाइट तथा बेसाल्ट ।

सिलिकेट सिस्टम में प्रावस्था निगम तथा साम्यता । द्विघटक तथा त्रिघटक तन्त्र । क्रिस्टलीकरण क्रम । अभिक्रिया सिद्धांत क्रिस्टलीकरण—अनेकता । विभिन्नता । आरेख । ग्रेनाइटेट्स मोनोनिनरविक तथा क्षारीय शैल कार्बोनाटाइट्स पनाटाइट्स तथा लम्प्रोफयरों का उद्गम ।

(2) अवसादी : वर्गीकरण तथा बनावट । अवसादों का मूल । गठन और संरचना । अवसादी शैलों के प्रमुख समूहों का अध्ययन । अवसादों का यांत्रिक विश्लेषण । निक्षेपण की पद्धतियां । पुराधारायें तथा श्रेणी विश्लेषण । अवसादों का उद्गम क्षेत्र विक्षेपणीय पर्यावरण भारी खनिज तथा उनका महत्व । शिली भवन तथा प्रसंघनन ।

(3) कार्यान्तरित शैल : कायान्तरण के कारण प्ररूप नियंत्रण संरचना, श्रेणी तथा सलक्षण । कायान्तरी विभेदन । तरवांतरण तथा ग्रेनाइटी भवन । अभिसंरचना, कणिकाश्म, चानोकाइट, बोलाइट्स, शिस्ट, नाइसिसेज और हार्नएम्फिसफेल्स । मेड्सा और ओराजनी के संबंध में कायान्तरण ।

ङ—भू-रसायन विज्ञान

अवयवों का अन्तरिक्षी बाहुल्य, पृथ्वी का प्रारम्भिक भू-रासायनिक विमदन, अवयवों का भू-रासायनिक वर्गीकरण अनुरोध अवयव/जल का रसायन विज्ञान । अवयादों का भू-रसायन विज्ञान भू-रासायनिक चक्र तथा भू-रासायनिक पूर्वोक्त के सिद्धांत ।

(4) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र 3 (कोड 04)

क—भारतीय खनिज निक्षेप

निम्नलिखित धातु तथा अधातु अयस्कों और खनिजों का भारतीय निक्षेप, जो उनके वितरण, उपस्थिति तथा उद्गम प्रणाली के सन्दर्भ में हो :—

(क) तांबा, सीसा, जस्त, एल्यूमिनियम, मैगनेशियम, लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, सोना, चांदी, टंग्स्टैन तथा मोलिब्डेनम ।

(ख) अभ्रक, वामक्यलाइट, एस्बेस्टस, बेरीटिस, ग्रेफाइट, जिप्सम, गरिक, मूल्यवान तथा अल्पमूल्य खनिज, उच्चतापसह खनिज, अपघर्षी तथा मत्तिका शिल्प हेतु खनिज, कांच, उर्वरक, सीमेंट प्रलेख तथा वर्णन उद्योग निर्माणी पत्थर ।

(ग) कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा खनिज ।

ख—खनिज अन्वेषण

पृष्ठीय तथा अपृष्ठीय अन्वेषण को पद्धतियां क्षेत्रगत उपस्कर तथा अन्वेषण हेतु क्षेत्रगत परीक्षण, अयस्क निक्षेप का पता देने वाले निदेश, अयस्वक निक्षेपों का प्रतिचयन, आमामन और मूल्यांकन । खनिज अन्वेषण में भू-भौतिक भू-रासायनिक तथा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों का अनुप्रयोग ।

ग—खनिज अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में खनिजों का महत्व । विनिर्माण उद्योगों में विभिन्न खनिजों का प्रयोग । मांग, आपूर्ति और प्रतिस्थापन भारत के प्रमुख खनिजों का उत्पादन तथा मूल्य । खनिज उद्योगों के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू । सामरिक क्रांति और अनिवार्य खनिज । संरक्षण तथा राष्ट्रीय खनिज नीति । खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति ।

ध—आर्थिक भूविज्ञान

खनिज निक्षेप—रूपण प्रक्रिया, स्थानिकीकरण का नियंत्रण तथा वर्गीकरण । आवश्यक धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का अध्ययन जो उनकी खनिजोयता, उपस्थिति तथा वितरण के सन्दर्भ में दिया गया हो ।

(5) जल-भूविज्ञान (कोड 05)

जल-भूविज्ञान चक्र । भूपर्पटी में जल वितरण । जलीय चक्र में भूजल आकाशी, मैग्मज और मैग्मीय जल और स्रोतों का उद्भव । जलधारी लक्षणों की दृष्टि से शैलों का वर्गीकरण, जल स्तरिकी एकक । भूजल की उपस्थिति के अनुकूल भू-वैज्ञानिक संरचना, भू-जल क्षेत्र । भू-जल भंडार—जल भर, मितजलभृत, अक्वीटार्ड्स । जलभरों का वर्गीकरण ।

शैलों के जलवैज्ञानिक गुणधर्म (भू-जल भंडार)—संरध्रता रिक्ति अनुपात, चुम्बकशीलता, पारगम्यता, स्टोरेटिविटी, आपेक्षिक पराभव, आपेक्षिक धारिता, विसरणशीलता । भू-जल भंडार के गुणधर्मों की पहचान की पद्धतियां—कूप पद्धतियां तथा प्रयोगशाला प्रविधियों के विसर्जन द्वारा चुम्बकशीलता और आपेक्षिक पराभव । स्टोरेटिविटी की पहचान । भू-जल को गति प्रदान करने वाले बल । भू-जल गति के नियम-डार्सी नियम के भू-जल का पुनर्भरण—कृत्रिम तथा प्राकृतिक, पुनर्भरण के नियंत्रक कारक, भू-जल के युति और क्षयी प्रयोग ।

भू-जल अन्वेषण की पृष्ठीय तथा उप-पृष्ठीय प्रविधियां—भू-वैज्ञानिक तथा भू-भौतिक—जल संतुलन । भू-जल निष्कर्षण की प्रविधियां (कूप-प्ररूप सर्वाधिक उपज हेतु विभिन्न प्रकार के शैल—क्षेत्रों में कूप-निर्माण की पद्धतियां) । विभिन्न प्रकार के प्रयोगों—घर उद्योग तथा सिंचाई संबंधी के सन्दर्भ में भू-जल के रासायनिक के लक्षण, जल प्रदूषण ।

परिशिष्ट—II

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मैडीकल एग्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता । किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारण मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार की यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी ।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा । रक्षा सेवाओं को भूतपूर्व विकलांग कर्मचारियों के मामले में पदों की अपेक्षाओं को देखते हुए स्तर में छूट दी जाएगी ।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।

2. भारतीय (एंग्लोइण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु कद और छाती के घेरे के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सब से अधिक उपर्युक्त समझे व्यवहार में लायें । यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा :

वह अपने जूते उतार देगा और उस मापदण्ड (स्टेण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों के अंगूठे या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां नितम्ब और कन्धे मापदंड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों के भागों में मापा जाएगा ।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उनकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े रामतल (हारिजेंटल/प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा । किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जायें ताकि फीता अपने स्थान से हट न जाए । तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा । और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84—89 86.93.5 आदि । माप रिकार्ड करते समय आधी सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नहीं करना चाहिए ।

विशेष ध्यान :—अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिएं ।

5. उम्मीदवार का वजन किया जाएगा और यह किलो-ग्राम में होगा। आधी किलोग्राम या उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) सामान्य (जनरल) : किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मेलिटि) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखें अथवा साथ लायी संरचनाओं (कन्टिगुअस स्ट्रक्चर) का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता है तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूइटी) : दृष्टि तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जायेगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा ली जायेगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा। क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल-सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दृष्टि तीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा :—

	दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
35 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवारों के लिए	6/9 अथवा 6/6	6/9 अथवा 6/12	0.6	0.8

टिप्पणी : (1) मायोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित) 4.00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइपर मेट्रोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित)—4.00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : (2) फंड्स परीक्षा : जहां तक सम्भव होगा चिकित्सा बोर्ड की विवेचना पर फंड्स परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

टिप्पणी : (3) कलर विजन :

(1) कलर विजन की जांच जरूरी होगी।

(2) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और (निम्नतर) लोअर ग्रेडों में होना चाहिए। ला लैंटर्न में एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4. मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3मि० मीटर	1.3मि० मीटर
3. उद्भाषन काल	5 सेकेन्ड	5 सेकेंड

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के सम्बद्ध भूविज्ञानी (कनिष्ठ) तथा सहायक भू-विज्ञानी तथा केन्द्रीय भोम-जल बोर्ड से सम्बद्ध कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी तथा सहायक जल भू-विज्ञानी के पदों के लिए रंग, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा आंखों से सम्बन्धित सभी चिकित्सा मानकों का स्तर ऊंचा होगा।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रैशर) :

(III) लाल संकेत, हरे संकेत और रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इशिहारा के प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों आंखों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन, सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

टिप्पणी : (4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) : सम्मुख विधि (कन्फ्रन्टेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब क्षेत्र को परमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (5) रतौंधी (नाइट ब्लाइण्डनेस) : केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है : रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैण्डर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (6) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की विशाएं (आक्यूलर कण्डीशन्स) :

(क) आंख की अंग सम्बन्धी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफ्रिक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता से कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रकोमा) : रोहे जब तक भयानक न हों साधारणतः अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(ग) भैंगापन : जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है भैंगापन अयोग्यता माना जाएगा, चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो ।

(घ) एक आंख वाला व्यक्ति : एक आंख वाले व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जाएगी ।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर) :

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल मैक्सीमम सिस्टालिक प्रेशर के आंकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(1) 15 से 55 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 आयु होता है ।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110+आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

विशेष ध्यान : सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर सिस्टालिक प्रेशर और 90 एम० एम० के ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्धता मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट में यह भी पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई सावयिक (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच रक्त यूरिया निकाय (क्लियरेंस) की जांच भी नमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड (रक्त दाब) लेने का तरीका :

नियमित : पारा वाले दाबमापी (मर्करी मानोमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हों। बांह थोड़ी-बहुत होरीजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर ही तथा उसके कंधे से कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजा के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैला कर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूलकर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर बाहु धमनी (ब्रकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों-बीच स्टथोस्कोप को हल्के से लाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी हवा भरी जाती है और उसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्थालिक प्रेशर दर्शाता है; जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जाएं यह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है तथा निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है। इस 'साइलेंट गैप' से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की ही परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा। और मधुमेह (डायबिटीज) के घातक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसरिया) के सिवाय, अपेक्षित मडिकल फिटनेस के स्टेण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है इसका ग्लूकोज मेह (अमधुमेही नान डायबेटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टेण्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मडिकल बोर्ड का "फिट" "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या इससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वथ्य घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वस्थता परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है । यदि कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया आपरेशन या हियरिंग एंड के इस्तेमाल से हो सके तो

उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। यह उपलब्ध भारतीय रेल, भण्डार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं, सेना इंजीनियरिंग सेवा, तार इंजीनियरिंग सेवा, ग्रुप के तार यातायात सेवा ग्रुप 'ख', केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा ग्रुप 'क' और केन्द्रीयवैद्युत इंजीनियरिंग सेवा ग्रुप पर लागू नहीं है। चिकित्सा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :—

1	2	3
		(2) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी, तकनीकी काम के लिए अयोग्य यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण-यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधार कर 3 डेसीबल हो जाने पर गैर तकनीकी कामों के लिए योग्य।
(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसबल तक हो तो गैर तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2)	दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोर्ड, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव है।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य।
(3)	सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन छिद्र।	(1) एक कान सामान्य हो दूसरे कान से टिम्पेनिक मैम्ब्रेन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (2) के अधीन विचार किया जा सकता है। (2) दोनों कानों में मार्जिनल या एट्रिक छिद्र होने पर अयोग्य। (3) दोनों कानों में से सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(4)	कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड कैविटी से सबनार्मल श्रवण।	(1) किसी एक कान से सामान्य रूप में एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान से सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिए योग्य।
(5)	बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य
(6)	नासापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित-डाक की जीर्ण प्रदाहक एजलिक दशा	(1) प्रत्येक मामले की परस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (2) यदि लक्षणों सहित नासापुट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(7)	टांसिल्स और/अथवास्वयंत्र (लेन्सि) की जीर्ण प्रदाहक दशा	(1) टांसिल और/अथवा स्वर यंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य। (2) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
(8)	कान, नाक, गले (ई०एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दभ ट्यूमर।	(1) हल्का ट्यूमर-अस्थाई रूप से अयोग्य। (2) दुर्दभ ट्यूमर—अयोग्य।
(9)	आस्टोकिरोसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(1) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य। (2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
11)	नेजल पोली	अस्थाई रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने केलिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं।

(अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसिल बटी हुई वरिकोसील, बेरिकाज-शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अगों हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती है या नहीं ।

(झ) उसके कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) कोई जन्मजात कल्पना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़े की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए ।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उसकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पैशल या स्टैण्डिंग मैडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने के लिए कोई हक नहीं है किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मैडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख से एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मैडिकल प्रमाण पत्र पेश करे तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि उसमें संबंधित मैडिकल प्रक्टीशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मैडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो ।

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ।

मैडिकल परीक्षण के मार्गदर्शन के लिये निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाये जाने वाले स्टेण्डर्ड से संबंधित उम्मीदवारों की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं है कि उसे कोई ऐसी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फार्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उससे अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मैडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिये किसी लेडी डाक्टर को मैडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

जो उम्मीदवार भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) और सहायक भू-विज्ञानी के पदों पर नियुक्त किये जायेंगे, उन्हें भारत में या भारत से बाहर क्षेत्रगत कार्य करना होगा । ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए कि वह क्षेत्रगत कार्य के लिए योग्य है या नहीं ।

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखनी चाहिए ।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किये जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु मैडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिये जा सकता है ।

ऐसे मामलों में जहां मैडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिये उम्मीदवार के अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मैडिकल द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए ।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार किया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निर्धारित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों की और आगे की अवधि के लिये स्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिये अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिये हुए नोट में, उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1. अपना नाम पूरा लिखें ——————————
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं——————————

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड जन जाति आदि में से किसी जाति से संबंधित है जिनका औसत कद दूसरों से कम होता है । "हां या "नहीं" में उत्तर दीजिए । उत्तर हां न हो तो उस जाति का नाम बताइए ।

(ख) क्या आपको कभी चेचक, रुक रुक कर होने वाला कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैण्डस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना खून से खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमटिज्म एर्थेडिसाइटिस हुआ है ?

(ग) क्या दूसरी ऐसी कोई बीमारी या दुर्घटना; जिसके कारण शैय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ।

5. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित है उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण
यदि माता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं और उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण ।

6. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

7. यदि ऊपर का उत्तर हां में हो तो बताएं किस सेवा किन सेवाओं के लिये आपकी परीक्षा की गई थी ?

8. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

9. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ——————————

10. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो——————————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है ऊपर दिये गये सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर

किए——————————

बोर्ड के अध्यक्ष के

हस्ताक्षर ——————————

नोट :— उपर्युक्त कथन की यर्थाथता के लिये उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । जानबूझकर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन) अलाउंस या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) ——————(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट——————

1. सामान्य विकास——————अच्छा——बीच का——
पोण : पतला—————— औसत——————
मोटा—————— कद का जूते उतार कर)—— वजन
में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन——————
तापमान : ——————
छाती का घेर ——————

(1) पूरा सांस खींचने पर——————
(2) पूरा सांस निकालने पर——————

2. त्वचा —कोई बाहरी बीमारी

3. नेत्र :—

(1) कोई बीमारी ——————
(2) रतौंधी ——————
(3) कलर विजन का दोष ——————
(4) दृष्टि के क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)——————

(5) फंडस की जांच—
(6) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी)—
(7) त्रिविम संगलन की योग्यता—

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मों के बिना	चश्मों से	चश्मे की पावर गोल सीलएक्सस
दूर की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
पास की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
हाइपरमैट्रोपिया (व्यक्त)	बा० ने०		

4. कान : निरीक्षण — सुनना
बायां कान — बायां कान—
5. ग्रंथियां — थाईराइड —

6. दांतों की हालत—
7. श्वसन तंत्र (रेसपीरेटर सिस्टम)—का शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों से किसी असमानता का पता लगा है ।

यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें—

8. परिसंचरण तंत्र (सरक्यूलेटरी सिस्टम)
(क) हृदय और आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन)
गति (रेट) :
खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने के बाद—
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद—
(ख) ब्लड प्रैशर —सिस्टालिक —
डायस्टालिक —
9. उदर (पेट) घेरा —स्पर्शसुग्रता
हर्नियां—
(क) दबाकर मालूम पड़ना : जिगर—
तिल्ली— गुर्दे—
ट्यूमर —
(ख) रक्तार्श —
भगंदर —
10. तंत्रिका तंत्र (नर्वससिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अपसामान्यता का संकेत —
11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम) :
कोई असामान्यता —
12. जनन मूत्र तंत्र (जैनेटी यूरिनरी सिस्टम)—
हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत :
मूत्र परीक्षा :—
(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?
(ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)
(ग) एल्बूमन
(घ) शक्कर
(ङ) कास्टस
(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती के एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट—
14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए आयोग्य हो सकता है ।

नोट :—महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए (देखें) विनियम 9 ।

15. (क) उम्मीदवार परीक्षा कर लिये जाने के किन सेवाओं में कार्य के दक्ष तथा सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए यह अयोग्य पाया गया है ।
(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिए योग्य है ।

नोट :—बोर्ड को अपना निर्णय निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक में रिकार्ड करना चाहिए ।
(i) योग्य
(ii) —के कारण योग्य
(iii) —के कारण अस्थाई रूप से अयोग्य

स्थान —अध्यक्ष —
तारीख —सदस्य —

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के आधार पर जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनके सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण

(1) भू-विज्ञान (कनिष्ठ) ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा । आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा 'परीक्षण' उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं ।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में निर्धारित वेतनमान :
(i) भूविज्ञानी (कनिष्ठ) (कनिष्ठ वेतनमान) रु० 2200-75-2800-द० रो०-100-4000 ।
(ii) भूविज्ञानी (वरिष्ठ) (वरिष्ठ वेतनमान) रु० 3000-100-3500-125-4500 ।
(iii) निदेशक (भू-विज्ञानी)—रु० 3700-125-4700-150-5000 ।

(iv) उप महानिदेशक (भूविज्ञानी)—रु० 4500-150-5700 ।

(v) वरिष्ठ उप महानिदेशक (परिचालन)—रु० 5900-200-6700।

(vi) महानिदेशक—रु० 8000 (नियत) ।

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी ।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं ।

(च) सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी ।

(छ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है ।

(2) सहायक भू-विज्ञान ग्रुप ख

(क) नियुक्ति हेतु, चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । यदि आवश्यकता हुई तो वह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं ।

(ग) वेतन का निर्धारित वेतनमान : रु० 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500 ।

(घ) भू-विज्ञानी (ग्रुप क—वर्तमान वेतनमान) के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में सहायक भू-विज्ञान के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाए ।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही हैं जिनका उल्लेख क्रमशः सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में किया गया है ।

(च) भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जिनका उल्लेख सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में किया गया है ।

(छ) सहायक भू-विज्ञानिकों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

(i) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी) ग्रुप 'क'—

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रखा जाएगा जिस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में विहित वेतनमान—

(i) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी)—रु० 2200-75-2800-द०रो०-100-4000।

(ii) वैज्ञानिक "ग" (वरिष्ठ जल-भू-विज्ञानी)—रु० 3000-100-3500-125-4500 ।

(iii) वैज्ञानिक "घ" (घ)—रु० 3700-125-4700-150-5000 ।

(iv) मुख्य जल-भू-विज्ञानी—रु० 5100-150-5700 ।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित किये गये भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी ।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है ।

(ङ) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी ।

(च) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है ।

2. सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख'

(क) नियुक्ति हेतु चुने गये उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा यदि आवश्यक समझा गया तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ।

(ख) निर्धारित वेतनमान रु० 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500 ।

(ग) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (ग्रुप 'क') के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः समय-समय पर सरकार द्वारा आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय

नियमों पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के सहायक जल विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा दी जाएगी ।

(ब) सेवा, अवकाश और पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं ।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियमावली में उल्लिखित हैं ।

(च) सहायक जल भू-विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1988

संकल्प

सं० आर० 17011/34/85-सी० एण्ड जी० (स्कोवा)—समय-समय पर संशोधित 17 जून, 1986 के संकल्प सं० आर० 17011/34/85-सी० एण्ड जी० के पैरा 4 का लोप किया जाए और उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ।

पैरा 4. "परियोजना के लिए सिफारिश किया गया सहायता अनुदान तीन वर्षों से कम अवधि की परियोजना के लिए एक लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा । तथापि, उपयुक्त मामलों में अधिकतम पांच लाख रुपए के अनुदान की अनुमति ऐसी परियोजनाओं के लिए दी जा सकेगी जो तीन वर्ष या इससे अधिक चल सकती है ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए और इस अधिसूचना को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० के० मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 1988

सं० एफ० 1-25/86 पी० एन० (डेस्क-II)—भारत सरकार की दिनांक 10 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना में श्रेणी: "(5) चुने हुए सदस्य" के अन्तर्गत अनुबंध में दिए गए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की संरचना में, निम्नलिखित को शामिल किया जाए, अर्थात् :—

"(vi) परिषद द्वारा एक सदस्य केन्द्रीय भारतीय औषध परिषद से नामित किया जाएगा ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों, सभी राज्य सरकारों, शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य संगठनों, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के सदस्य, आदि को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

डा० (श्रीमती) डी० एम० डी० रिबेलो, संयुक्त सचिव

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्तूबर 1988

संकल्प

सं० एफ० 7-10/82-सी० एच०-I—भारत सरकार, इस विभाग के दिनांक 12 जुलाई, 1985 के समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति के नियमों और विनियमों के नियम 3(viii) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा समिति के पुनर्गठित होने तक, जो भी पहले हो, तत्काल से राष्ट्रीय मानव समिति के सदस्यों के रूप में नामित करती है ।

1. प्रो० बी० एम० दास,
मानव विज्ञान विभाग,
गुवाहाटी विश्वविद्यालय,
गुवाहाटी–781014 ।

2. प्रो० एन० एस० रेड्डी,
(भूतपूर्व प्रोफेसर, मानव विज्ञान)
मद्रास विश्वविद्यालय,
आर्थिक और सामाजिक परिसर केन्द्र,
निज़ामिया वेधशाला परिसर,
बेगुम्पेट, हैदराबाद ।

3. प्रो० के० सी० मलहोत्रा,
भारतीय सांख्यिकी संस्थान,
203, बैरकपोरे, ट्रंक रोड,
कलकत्ता ।

4. प्रो० एन० के० बेहुरा,
उत्कल विश्वविद्यालय,
भुवनेश्वर,
उड़ीसा ।

5. डा० एल० पी० सिहारे,
महानिदेशक,
राष्ट्रीय संग्रहालय,
नई दिल्ली ।

6. श्री जी० अरविन्दन,
9/1733, वल्यालमपालम,
त्रिवेन्द्रम ।

7. श्री कोमल कोठारी,
जवाहर, राजस्थान ।

8. डा० एस० आर० के० चोपड़ा,
कुलपति,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र ।

2. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति के नियमों एवं विनियमों के नियम 18(ख) (xi) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि अथवा कार्यकारी परिषद के पुनर्गठित होने तक, जो भी पहले हो, तत्काल से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती है ।

1. प्रो० एन० एस० रेड्डी
(भूतपूर्व प्रोफेसर, मानव विज्ञान)
आर्थिक एवं सामाजिक परिसर केन्द्र,
निज़ामिया वेधशाला परिसर,
बेगम्पेट, हैदराबाद ।

2. डा० एल० पी० सिहारे,
महानिदेशक,
राष्ट्रीय संग्रहालय,
नई दिल्ली।

3. डा० एस० आर० के० चोपड़ा,
कुलपति,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निदेशक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पी० बी० सं० 7 तथा हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, भोपाल-462016 को भेजी जाए और संकल्प को जन सामान्य की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० सिकदर, उप शिक्षा सलाहकार

(PLANNING COMMISSION)

New Delhi-110 001, the 29th July 1988

RESOLUTION

No. M-13043/12(IX)/87-Agri.—In partial modification of Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1983 regarding constitution of the Planning Team for Western Plateau and Hills Region, the following correction is made in the list of Members of the Planning Team :

Against Item 5(i), in place of "Chief Conservator of Forests, Maharashtra, Pune", the entry "Principal Chief Conservator of Forests, Maharashtra, Nagpur" may be substituted.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 1st August 1988

RESOLUTION

No. M-13043/12(VII)/87-Agri.—In partial modification of Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988 regarding constitution of the Planning Team for Eastern Plateau and Hills Region, the existing entry against item 6 (ii) at page 2 (a) may be substituted as under :

"6 (ii) (a) Secretary, Irrigation and Water-ways, West Bengal; and

(b) Secretary, Minor Irrigation, West Bengal".

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Plannign Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(SOCIO-ECONOMIC RESEARCH UNIT)

The 20th September 1988

RESOLUTION

No. 0.150111/1/82-SER.—Reference Planning Commission's Resolution No. 015011/1/82-SER dated 18th September 1985 and subsequent amendments thereto.

The Planning Commission has decided to reconstitute the Committee (Research Advisory Committee) set up in 1982 to advise it on research in areas relating to planning, with effect from 6-8-1988. Its composition and terms of reference are set out below :—

COMPOSITION

1. Prof. S. Chakravarty, Planning Commission.

Members

2. Dr. Raja J. Chelliah, Member, Planning Commission
3. Dr. Y. K. Alagh, Member, Planning Commission.
4. Dr. C. H. Hanumantha Rao, Institute of Economic Growth, Delhi.
5. Dr. A. M. Khusro, Chairman, National Institute of Public Finance & Policy, Special Institutional Area, New Delhi-110 067.
6. Dr. C. Rangarajan, Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.
7. Dr. K. Krishnamurthy, Institute of Economic Growth, University Enclave, Delhi-7.
8. Prof. Iqbal Narain, Member Secretary, Indian Council of Social Sciences Research, 35, Ferozshah Road, New Delhi.
9. Dr. A. Bagchi, Director, National Institute of Public Finance & Policy, Special Institutional Area, New Delhi-110 067.
10. Dr. A. Vaidyanathan, Madras Institute of Development Studies, Adayar, Madras-600 020.
11. Dr. Pravin Visaria, Director, Gujarat Institute of Area Planning, Preetam Raj Marg, Ahmedabad-380 006.
12. Prof. Yogendra Singh, Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110 067.
13. Prof. Victor S. D'Souza, National Fellow, Indian Council of Social Sciences Research (Address : 7, Amelia Apartments, Mount Carmel Road, Bandra, Bombay-400 050).
14. Shri P. B. Krishnaswamy, Special Secretary, Planning Commission.
15. Dr. P. C. Joshi, Adviser (International Economics), Planning Commission.
16. Dr. (Mrs.) R. Thamarajakshi, Adviser (Labour, Employment & Manpower), Planning Commission.
17. Dr. S. R. Hashim, Consultant (Prespective Planning), Planning Commission.
18. Adviser (Financial Resources), Planning Commission.
19. Dr. P. D. Mukherjee, Consultant (FR).

Member-Secretary

20. Dr. V. G. Bhatia, Adviser (Development Policy), Planning Commission.

Terms of Reference

(i) To identify areas of research planning, identify scholars and institutions for undertaking research in those areas, get appropriate research projects formulated and process them for approval for financing by the Planning Commission.

(ii) To examine research study proposals received from Institutions/Scholars on their own in areas relevant to planning and advise on their suitability for financing by the Planning Commission.

(iii) To advise on the research programmes that are financed in various research institutions by recurring block grants from the Planning Commission i.e. those in the Institute of Economic Growth, Delhi, Gokhale Institute of Politics & Economics, Pune, the Department of Economics, Bombay University, Bombay and the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi.

(iv) To advise on the training and research-cum-training programmes organised in different research institutions with financial assistance from the Planning Commission.

(v) To consider the research programme of the Institute of Applied Manpower Research with a view to dovetailing it with the other research studies sponsored by the Planning Commission.

(vi) To advise on the suitability of the completed studies for publication with financial assistance from the Planning Commission.

(vii) To advise on the suitability of financing, partly or wholly, seminars which may be organised to discuss the identified development programmes, and

(viii) To advise on any other matter relevant or incidental to the problems of the above functions.

2. The Committee may meet as often as may be decided by its Chairman. Normally, its meetings will be held at New Delhi.

3. The Socio-Economic Research Unit of the Planning Commission will function as Secretariat of the Committee.

4. Non-official members of the Committee will be entitled to travel by air. They will also be entitled to daily allowances for attending the meetings of the Committee as admissible to Grade-1 officers of the Govt. of India which will also be paid by the Planning Commission.

5. The Committee will continue upto 31-3-1990 unless otherwise notified by the Government.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

J. C. DANGWAL, Director (Administration)

MINISTRY OF STEEL AND MINES

RULES

New Delhi, the 29th October 1988

No. A-12025/5/88-M.II.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1989 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of Ministry of Water Resources, published for general information :—

Category I (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Steel and Mines).

(I) Geologist (Junior), Group A and

(II) Assistant Geologist Group B

Category II (Posts in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources).

(i) Scientist 'B' (Jr. Hg.) Group A

(ii) Assistant Hydrogeologist, Group B

1. A candidate may compete in respect of any one or both the categories of posts mentioned above. He should clearly indicate in his application the posts for which he wishes to be considered in the order of preference.

No request for alteration in the preferences indicated by a candidate in respect of posts covered by the category/categories for which he is competing would be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the result of the written examination in the Employment News.

2. Appointment on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance. The candidates will be eligible for permanent appointment in their turn as and when permanent vacancies become available.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st January 1989 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January 1959 and not later than 1st January 1968.

(b) the upper age limit will be relaxable upto a maximum of 7 years in the case of Government servants, if they are employed in a Department mentioned in Column I below

and apply for the corresponding post(s) mentioned in column II.

Column I	Column II
Geological Survey of India	Geologist (Junior) Group A Assistant Geologist, Group B
Central Ground Water Board	Scientist 'B' (Jr. Hg.) Group A. Assistant Hydro-geologist, Group B.

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanazania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

'vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanziber, or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1989 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be com-

pleted within six months from 1st January 1989) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1989 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1989) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military service or (iii) on invalidment, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of 5 years in case of ECOs/SSCO's who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military service as on 1st Jan., 1989 and are retained in Military service thereafter, and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for Civil employment and that they will be released on 3 months' notice on securing civil employment.

(xvii) up to a maximum of 10 years in case of ECO's/SSCO's who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military Service as on 1st Jan., 1989 and are retained in the Military Service thereafter, and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for Civil employment and that they will be released on 3 months' notice on seucring civil employment, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xviii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

(xx) up to a maximum of six years, if a candidate has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

(xxi) up to a maximum of eleven years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes and has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

Note—Ex-Servicemen who have already joined the Government job on Civil side after availing of the benefits given to them as ex-servicemen for their re-employment, are not eligible to apply under Rule 6(c) (xiv) & 6 (c) (xv) of the Rules.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eligible to complete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application, duly recommended, has been forwarded by his parent Department.

7. A candidate must have—

a) Master's degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an act of Parliament or declared to be deemed as

Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad; or

(c) Master's degree in Mineral Exploration from a recognised University (for posts in the Geological Survey of India only); or

(d) Master's degree in Hydrogeology from a recognised University (for posts in the Central Ground Water Board only).

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination, but has not been informed of the results may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible, and in any case not later than 31 August, 1989.

NOTE II.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at this discretion of the Commission.

8. Candidates must Pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

9. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected candidature shall be cancelled.

10. The decision of the Commission as to the eligibility, or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harrassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct or their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to the candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him into consideration.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

14. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to such candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for the various posts at the time of his application.

4—301 GI/88

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the post.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the post. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy those requirements, will not be appointed. Only candidates who are likely to be considered for appointment will be physically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board concerned at the time of the Medical Examination.

NOTE :—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment to Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services personnels, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

19. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

20. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

J. B. MUNIRAJULU, Under Secy.

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following Plan :—

PART I—Written examination in the subjects as set out in para 2 below.

PART II—Interview for Personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks (see para 8 below).

2. The following will be the subjects for the written examination :—

Subject	Code No.	Duration	Maximum Marks
1	2	3	4
(1) General English I . .	01	1 1/2 hrs.	100
(2) Geology Paper I, comprising General Geology, Geomorphology, Structural Geology, Stratigraphy and Palaeontology . . .	02	3 hrs.	200
(3) Geology Paper II, comprising Crystallography, Mineralogy, Petrology and Geo-Chemistry . .	03	3 hrs.	200
4) Geology Paper III, comprising Indian Mineral Deposits, Mineral Exploration Mineral Economics and Economic Geology. . . .	04	2 hrs.	150
(5) Hydrogeology . .	05	2 hrs.	150

NOTE :—Candidates competing for posts under both category I and category II will be required to offer all the five subjects mentioned above. Candidates competing for posts under category I only will be required to offer subjects at (1) to (4) above and candidates competing for posts under category II only will be required to offer subjects at (1) to (3) and (5) above.

3. The examination in all the subjects will be completely of objective (multiple choice answer) type. For details including sample Questions, please see "Candidates' information Manual" at Annexure II to the Commission's Notice.

The Question Papers (Test Booklets) will be set in English only.

4. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They *should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

8. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

SCHEDULE

STANDARD AND SYLLABUS

The standard of the paper in General English will be such as may be expected of a science graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidate's grasp of the fundamentals in each subject.

There will be no practical examination in any of the subjects.

(1) GENERAL ENGLISH (Code 01)

Questions to test the understanding of and the power to write English.

(2) GEOLOGY PAPER I (Code 02)

A. *General Geology.*—Origin of the Earth, Continents and Oceans—their distribution, evaluation and origin. Continental drift, ocean spreading and concept of plate-tectonics, Palaeoclimates and their significance. Isostasy, Palaeomagnetism Radioactivity and its application to geology. Geochronology and age of the Earth. Seismology and interior of the Earth Geosynclines. Volcanism, Island arcs, deep-sea trenches and midoceanic ridges. Coral reefs. Orogeny and epeirogeney. Organic cycles.

B. *Geomorphology.*—Geomorphic processes, features and their parameters. Geomorphic cycles and their interpretations. Topography and its relation to structures. Soils.

C. *Structural Geology.*—Physical properties of rocks. Deformation; Faulting and folding—their mechanics. Primary structures. Lineation, foliation and joints. Plutons, diapirs and salt domes. Recognition of top and bottom of beds, Un-conformities. Diastrophism. Petrofabric analysis.

D. *Stratigraphy.*—Principles of stratigraphy and nomenclature. Outlines of world stratigraphy and palaeogeography. Type section of the various geological systems. Gondwana System and Gondwanaland.

Stratigraphy and Palaeogeography of the Indian sub-continents (India, Pakistan and Bangladesh). Correlation of the major Indian formations, age problems in Indian stratigraphy.

E. *Palaeontology.*—(a) Fossils, their nature, modes of preservation and uses. Morphology, classification and geological history of the invertebrates; corals brachiopads, lamelli branch ammonites, gastropeds, trilobites, echioderms, graptolites and foraminifers.

(b) Principal groups of vertebrates with emphasis on Gondwana and Siwalik faunas. Evolutionary histories of man, elephant and horse.

(c) Fossil flora with emphasis on Gondwana flora and its significance and distribution.

(d) Micropalaeontology, its importance with special reference to foraminifenids, their ecology and palaeoecology.

(3) GEOLOGY PAPER II (Code 03)

A. *CRYSTALLOGRAPHY*

Symmetry elements and classification of crystals. Projections—Spherical and Stereographic; 32 classes (Point groups). Twinning and crystal imperfections.

B. *DESCRIPTIVE MINERALOGY*

Physical, chemical, electrical, magnetic and thermal properties of minerals. Structure and classification of silicates.

Olivine group. Garnet group, Epidote group and Melilite group. Zircon, Sphene, Sillmanite, Andalusite, Kyanite, Toroz, Staurolite, Beryl, Cardierite, Tourmaline, Pyrozene group and Amphibole group. Wollastonite and Rhodonite. Mica Group. Chloride group and Clay minerals. Feldspar group. Silica minerals, Feldspathiod group. Geolite group and Scapolite group. Oxides, Hydroxides. Carbonates, Phosphates, Halides, Sulphides and Sulphates.

C. *OPTICAL MINERALOGY*

General principles of optics. Optical accessories, Refringence, birefringence, Extinction angle. Pleochroism, Optical elisoids. Optical axial angle, Optic orientation. Dispersion Optic anomalies.

D. *PETROLOGY*

(i) *Igneous* : Forms, structures, texture and clasification. Granite-Granedior-Diorite, Syenite-Nepheline Syenite. Gabbro-Peridotite-Dunite Dolerite, Lamprophyre. Pegmatite, Aplite, Ijolite and Carbonatite. Rhyollte, Trachyte, Dacite Andesite and Basalt.

Phase rule and equilibrium in silicate system. Two component and three-component systems. Order of Crystallisation. Reaction princile. Crystallisation of magmas. Diversity Variation diagrams. Orlgin of granites, monomineralic and alkaline rocks, carbonatites, pegmatites and lamprophyres.

(ii) *Sedimentary* : Classification and composition. Origin of sediments. Textures and structures. Study of important groups of sedimentary rocks. Mechanical analysis of sediments. Methods of deposition. Palaeocurrents and basis analysis. Provenance of sediments. Depositional environment. Heavy minerals and their significance. Lithification and diagenesis.

(iii) *Metamorphic* : Agents, types, controls, structures, grades and facies of metamorphism. Metamorphic differentiation. Metasomatism and granitisation. Migmatites, granulites, charnockkites, amphibolites, schists, gneisses and hornfels. Metamorphism in relation to magma and orogeny.

E. *GEOCHEMISTRY*

Gosmic abundances of elements, primary geochemical differentiation of the Earth; geochemical classification of the elements. Trace elements, Geochemistry of water. Geochemistry of sediments, geochemical cycle and principles of geochemical prospecting.

(4) GEOLOGY PAPER III (Code 04)

A. *INDIAN MINERAL DEPOSITS*

Indian deposits of the following metallic and non-metallic ores and minerals with reference to their distribution, mode of occurrence and origin :

(a) Copper, Lead, Zinc. Aluminium, Magnesium. Iron, Manganese, Chromium, Gold, Silver, Tungsten and Molybdenum.

(b) Mica, Vermiculite, Asbestos, Barytes, Graphite, Gypsum. Ochre, Precious and Semi-precious minerals, refractory minerals, abrasives and minerals for ceramics, glass, fertili-, ser-cement, paint and pigment industries and building stones.

(c) Coal, petroleum, natural gas and atomic energy minerals.

B. *MINERAL EXPLORATION*

Methods of surface and sub-surface exploration, field equipment and field tests used for exploration, guides for locating ore deposits. Sampling assaying and evaluation of ore deposits. Application of geophysical, geochemical and geobotanical surveys in mineral exploration.

C. *MINERAL ECONOMICS*

Significance of minerals in national economy. Use of various minerals in manufacturing industries. Demand, supply and substitutes. Production and price of major minerals in India. International aspects of Mineral industries, Strategic, critical and essential mineral. Conservation and national mineral policy. India's status in mineral production.

D. *ECONOMIC GEOLOGY*

Mineral deposits—processes of formation, controls of localisation and classification. Study of important metallic and non-metallic minerals with reference to their mineralogy, mode of occurrence and distribution.

HYDROGEOLOGY (Code 05)

Hydrological cycle. Distribution of water in the earth's crust. Ground Water in hydrological cycle Origin of ground water, meteoric, juvenile and magmatic water, springs. Classification of rocks with respect of water bearing characteristics. Hydro-stratigraphic units. Geological structures favouring ground water occurrence. Ground water provinces, Ground water reservoirs—Aquifers, acquicludes acquitards. Classification of acquifers.

Hydrological properties of rocks (Ground water reservoirs) porosity, void ratio, permeability transmissivity, storativity, specific yield, specific retention, diffusivity. Methods of identification of ground water reservoir properties—Permeability and specific yield/storativity by discharging well methods and laboratory techniques. Forces causing ground water movement. Laws of ground water movement—Darcy's law. Ground water recharge—artificial and natural, factors controlling recharge conjunctive and consumptive use of ground water.

Surface and sub-surface techniques of ground water exploration—geological and geophysical—water balance. Techniques of ground water extraction (Types of wells, methods of well construction in different types of rocks for best yield). Chemical characteristics of ground water in relation to various uses—domestic, industrial and irrigational. Water pollution.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming upto the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services Personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if these be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar, and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that is upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in the centimetres thus 84-89 86-93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision

5. The candidate will also be weighted and his weight recorded in Kilogram; fraction of half a Kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with following rules. The result of each test will be recorded.

(i) *General.*—The candidate's eye will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or continuous structure of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one of the distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standard for distant and near vision with or without glasses shall be follows :—

Distant Vision		Near Vision	
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0·6	0·8

NOTE (1)—Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00 D. The total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed+4.00D.

NOTE (2)—*Fundus Examination* : Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

NOTE (3)—*Colour vision* : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidate	4·9 metres	4·9 metres
2. Size of aperture	1·3 mm.	1·3 mm.
3. Time of exposure	5 Sec.	5 Sec.

For the post of Geologist (Jr.) and Assistant Geologist concerning Geological Survey of India and Junior Hydrogeologist and Asstt. Hydrogeologist concerning Central Ground Water Board, the medical standards in regard to colour perception and all other tests relating to eyes will be of high order.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal greed and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like edrige green shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the tests, both the tests should be employed.

NOTE (4) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (5)—*Night Blindness.*—Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such a rough test, e.g., recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

NOTE (6)—(a) *Ocular conditions other than visual acuity.*—Any organic disease or a progressive reactive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—Where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of a prescribed standard, should be considered as disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7. *Blood Pressure.*

The Board will use its discretion regarding Blood pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subject over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidates should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope it then applied slightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at still lower level. This silent Gap may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner, should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and, will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion"fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if the, defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive

disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard—

1	2	3
	(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal.	Fit for non-technical job if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
	(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
	(3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) one ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit. Under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below.
		(ii) Marginal or attic perforation in both ears — Unfit.
		(iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
	(4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity—Fit for both technical and non-technical jobs.
		(ii) Mastoid cavity of both, sides, Unfit for technical jobs—Fit for non-technical jobs of hearing improves to 30 decibels in either ear with or without hearing aid.
	(5) Persistently discharging ear operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
	(6) Chronic inflammatory/ allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
		(ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms ——Temporarily unfit.
	(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx. Fit.
		(ii) Hoarseness of voice of severe degree is present then Temporarily Unfit.
	(8) Benign or locally malignant tumours of the E. N. T.	(i) Benign Tumours Temporarily unfit.
		(ii) Malignant Tumour—Unfit.
	(9) Otosclerosis	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
	(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit.
		(ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
	(11) Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effec-

tive mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose vains or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in that Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine their fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains, a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate had already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner.

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.) and Assistant Geologist are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in board terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared temporarily 'Unfit', period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....
.....

2. State your age and birth place.....
.....

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower. Answer 'Yes' or 'No', and if the answer is "Yes" state the name of the race.

(b) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis.

(c) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. Have you suffered any form of nervousness due to overwork or any other cause ?

5. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living, and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death.

Mother's age if living, and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

6. Have you been examined by a Medical Board before ?

7. If answer to the above is 'Yes' please state what Services/posts you were examined for.

8. Who was the examining authority ?

9. When and where was the Medical Board held ?
.....

1. Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known.....

I declare all the above answers to be the best of my belief, true and correct.

Candidate's Signature .....

Signed in my presence.

Signature of Chairman of the Board.

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims of superannuation allowance or Gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development : Good ..... Fair ..... Poor .....

Nutrition : Thin ..... Average ..... Obese .....

Height (without shoes) ..... Weight .....

Any recent change in weight .....

Temperature .....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration) .....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : any obvious disease .....

3. Eyes .....

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of Vision .....

(5) Fundus Examination .....

(6) Visual Acuity .....

(7) Ability for streoscopic fusion .....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses sph cv. Axis.
Distant Vision			
RE			
LE			
Near Vision			
RE			
LE			
Hypermetropia (Manifest)			
RE			
LE			

4. Ears : Inspection ..... Hearing : Right Ear .... Left Ear .....

5. Glands ..... Thyroid

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully .....

8. Circulatory system .....

(a) Heart and organic lesions .....
Rate : Standing .....
After hopping 25 times .....
2 minutes after hopping .....

(b) Blood Pressure : Systolic ..... Diastolic .....

9. Abdomen : Girth .....
Tenderness .....
Hernia .....

(a) Palpable Liver ..... Spleen
Kidneys ..... Tumours

(b) Haemorrhoids ..... Fistula

10. Nervous System : Indications of nervous or mental sabilities .....

11. Loco Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest .....
.....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate .....

NOTE.—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide regulation 9.

.....
.....

15. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit ?

.....
.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

NOTE.—The Board should record their finding under one of the following three categories :

(i) Fit .....

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of .....

President.....

Member.....

Place .....

Date .....

APPENDIX III

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. *Geological Survey of India*

(1) Geologist (Junior) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India.

(i) Geologist (Junior) (Junior Scale) Rs. 2200—75—2800—EB—100—4000.

(ii) Geologist (Senior) (Senior Scale) Rs. 3000—100—3500—125—4500.

(iii) Director (Geology) Rs. 3700—125—4700—150—5000.

(iv) Deputy Director General (Geology) Rs. 4500—150—5700.

(v) Senior Deputy Director General (Operations) Rs. 5900—200—6700.

(vi) Director General Rs. 8000 (fixed).

(d) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.

(2) Assistants Geologist Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scale of pay Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500.

(d) Recruitment to the Cadre of Geologist (Group A—Junior Scale) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotion from the next lower grade of Assistant Geologist of the Geologist Survey of India in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) Assistant Geologist are liable for service anywhere in India or outside India.

2. *Central Ground Water Board*

(1) Scientist 'B' (Jr. Hg.) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended if necessary.

(b) Prescribed scales of pay in the Central Ground Water Board :—

(i) Scientist 'B' (Jr. Hg.) Rs. 2200—75—2800—EB—100—4000.

(ii) Scientist 'C' (Sr. Hg.) Rs. 3000—100—3500—125—4500.

(iii) Scientist 'D' (D) Rs. 3700—125—4700—150—5000.

(iv) Chief Hydrogeologist Rs. 5100—150—5700.

(c) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All Officers of Central Ground Water Board are liable for service in any part of India or outside India.

(2) Assistant Hydrogeologist, Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be ed on probation for a period of two years may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500.

(c) Recruitment to the cadre of Scientist 'B' Junior Hydrogeologist (Group A) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive

examination and partly through D.P.C. by promotions from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologist are liable for Service anywhere in India or outside India.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 13th September 1988

RESOLUTION

No. R.17011/34/85-C&G(SCOVA).—In Resolution No. R.17011/34/85-C&G dated 17th June, 1986 as amended from time to time, para 4 may be deleted and substituted by the following :

Para 4

"Grant-in-aid recommended for a project shall not exceed Rs. One lakh per year for the Project for duration of less than 3 years. In suitable cases, however a maximum grant of Rs. 5.00 lakh for projects which may run for three years or longer may be permitted".

ORDER

Ordered that a copy of the Notification be communicated to all the State Govts./UTs and that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

P. K. MEHROTRA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 17th August 1988

RESOLUTION

No. F.1-25/86-PN(Desk-II).—In the composition of the Central Advisory Board of Education contained in Annexure to the Government of India Resolution dated 10 April, 1986, under the category :— "(5) elected members", the following shall be added, namely :

"(vi) one member of the Central Council of Indian Medicine to be nominated by the Council".

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be sent to all Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments, Autonomous organisations of the Department of Education, Members of Central Advisory Board of Education, etc.

Ordered that a copy of the Resolution be also published in the Gazette of India for general information.

DR. (MRS.) D. M. de REBELLO, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 4th October 1988

RESOLUTION

No. F.7-10/82-CH.I.—In partial modification of this Department's order of even number dated 12th July, 1985, the Government of India, in pursuance of Rule 3(viii) of the Rules and Regulations of the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti, hereby nominates the following as members of the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti with immediate effect for a period of five years or till the Samiti is reconstituted, whichever is earlier :—

1. Prof. B. M. Das,
Department of Anthropology,
Guwahati University,
Guwahati-781014.

2. Prof. N. S. Reddy,
(former Prof. of Anthropology),
Madras University,
Centre of Economic & Social Campus,
Nizamia Observatory Campus,
Begumpet,
Hyderabad.

3. Prof. K. C. Malhotra,
Indian Statistical Institute,
203, Barrackpore Trunk Road,
Calcutta.

4. Prof. N. K. Behura,
Utkal University,
Bhubneshwar,
Orissa.

5. Dr. L. P. Sihare,
Director General,
National Museum,
New Delhi.

6. Shri G. Aravindan,
9/1733, Vallayampalam,
Trivandrum.

7. Shri Komal Kothari,
Jaisalmer,
Rajasthan.

8. Dr. S. R. K. Chopra,
Vice Chancelor,
Kurukshetra University,
Kurukshetra.

2. Further, under Rule 18(b)(xi) of the Rules and Regulations of the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti, the Government of India nominates the following as members of the Executive Council of the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti with immediate effect for a period of five years or till the Executive Council is reconstituted, whichever is earlier :—

1. Prof. N. S. Reddy,
(former Prof. of Anthropology),
Madras University,
Centre of Economic & Social Campus,
Nizamia Observatory Campus,
Begumpet,
Hyderabad.

2. Dr. L. P. Sihare,
Director General,
National Museum,
New Delhi.

3. Dr. S. R. K. Chopra,
Vice Chancellor,
Kurukshetra University,
Kurukshetra.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to the Director, Rashtriya Manav Sangrahalaya, P.B. No. 7, Tawa Housing Board Complex, Bhopal-442016, and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. SIKDAR, Dy. Educational Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1988